न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

पीठासीन अधिकारी :— अमिता विश्नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 111/2023

अनवान :— शेलुसिंह बनाम टीपु कंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी/वादीः—	बनाम	अप्रार्थी/प्रतिवादीः—
1. शैलुसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपुत निवासी करणी नगर तहसील बापिणी जिला फलौदी		1. टीपु कंवर पत्नी देवीसिंह जाति राजपुत निवासी करणी नगर तहसील बापिणी जिला फलौदी

<u>दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 128, 136 राजस्थान भु—राजस्व अधिनियम</u>

प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :—
अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री रघुवीरसिंह भाटी।
अधिवक्ता अप्रार्थी :— श्री प्रवीण मदेरणा।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 19/08/2025

अनवान प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि :— प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम करणीनगर के खसरा नम्बर 580/2 रकबा 1.9425 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 580 रकबा 1.9425 हैक्टयर जमीन आई हुई है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 580/2 की तरमीम एवं प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 580 की तरमीम कब्जे कास्त के विपरित गलत कर दी गयी हैं। मौके पर कब्जे कास्त के विपरित राजस्व नक्शा में दर्ज होने से भविष्य में पक्षकारों के मध्य तरमीम को लेकर विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसके लिए माफिक कब्जे कास्त अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त करवानें हेतु हल्का पटवारी व भु.अभिलेख निरीक्षक से निवेदन किया गया कि आर. आर. टी 2007(2) पेज 947 की नजीर के मतानुसार मौके पर वास्तविकता के मुताबिक नक्शे में तरमीम करना भु—अभिलेख अधिकारी का दायित्व हैं परन्तु नहीं करने पर तहसीलदार बापीणी से आग्रह किया जो उन्होंने इन्कार कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थी को भेजे गये समन की डाक रसीदें न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गयी। तथा अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण मदेरणा ने दिनांक 19.04.2023 कों वकालतनामा पेश किया और जबाब के लिए 2 वर्ष में 23 अवसर प्रदान करने बावजुद पेश नही करने पर बन्द किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी।

चुकिं तहसीलदार बापिणी की तरफ से मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार बापिणी ने अपने मौका जांच रिपोर्ट में बताया की मौके पर सलग्न नक्शा अनुसार परिशिष्ट—बी मौका पाया गया। तथा परिशिष्ट—ए की स्थिति को विलोपित किया जा कर मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम की जानी है।

सहायक कलेक्टर बापिणी

तथा परिशिष्ट–बी के तहत तरमीम संशोधित की जानी उचित है। पत्रावली अन्तिम बहस के लिए मुकर्रर की गयी।

पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। जिसमे प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट पर सहमति जाहीर कर मुताबिक रिपोर्ट तरमीम दुरूस्ती किया जाने का आग्रह किया। और अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के पैरान को दौहराते हुऐ मौका जांच रिपोर्ट का समर्थन किया और बताया कि जांच रिपोर्ट के साथ लगे परिशिष्ट–बी के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावें और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार बापिणी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट सामिल मिशल किया गया और बताया कि जांच रिपोर्ट के साथ लगे परिशिष्ट–बी के अनुसार तरमीम संशोधित की जानी उचित है। ओर प्रार्थी को तरमीम दुरूस्ती की आत्याधिक आवश्यकता है। इसलिए धारा 128 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अभिमत से स्वीकार योग्य पाया है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम करणीनगर के खसरा नम्बर 580/2 रकबा 1.9425 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 580 रकबा 1.9425 हैक्टयर भुमि की तरमीम तहसीलदार बापिणी की मौके की रिर्पोट में सलग्न नक्शा परिशिष्ट–बी के अनुसार तरमीम संशोधित किये जाने का आदेश दिया जाता है। कि तहसीलदार बापिणी राजस्व रेकॉर्ड नक्शे में परिशिष्ट–बी के मुताबिक तरमीम दुरूस्ती कर अमल दरामद किया जाकर न्यायालय विनिश्चय की पालना सुनिश्चित करें। तथा दिनांक 25.06.2025 की मौका रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा। पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/08/2025 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अमिता विश्नोई आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बापिणी
सहायक कलेक्टर बापिणी